न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः के.आर.खौड़, आर.ए.एस.)

प्रार्थी
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1. सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा, तहसील– पिण्डवाडा, जिला– सिरोही
2. श्री नीबाराम पुत्र श्री ओटाजी, जाति–रबारी, निवासी–वाटेरा, तहसील–पिण्डवाडा, जिला–सिरोही

पंचायत निगरानी संख्याः 72/2020

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः
1.श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही(प्रार्थी की ओर से)
2. अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी, अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 28 फरवरी, 2022**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन करने के संबंध में पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.9.2016 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख संख्या 22017 दिनांक 20.9.2016 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड़वाडा द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी आवेदन जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही के क्षेत्राधिकार के होने से जिला कलक्टर न्यायालय, सिरोही में प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर, सिरोही के आदेश क्रमांकःकोर्ट/2020/742–43 दिनांक 20.10.2020 से उक्त निगरानी आवेदन इस न्यायालय को सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किये जाने पर इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाकर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से उसके अधिवक्ता श्री धनाराम देवासी उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–1 (सरपंच, ग्राम पंचायत, वाटेरा) को नोटिस की तामिल होने पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 12.3.2021 को श्री दुर्गेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, वाटेरा ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन बहस हेतु नियत तिथि को अप्रार्थी संख्या–1 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

(3) प्रकरण में बहस सुनी गई। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलक्टर कार्यालय, सिरोही ने निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या–2 को रियायती दर पर भूखण्ड का आवंटन करने के संबंध में प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 20.11.2016 को पारित करते हुए इस प्रस्ताव के अनुसरण में ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 को रियायती दर पर पट्टा विलेख जारी किया गया है, जो नियम विरुद्ध जारी किया गया है [illegible] में पूर्व से ही आवासीय मकान बना हुआ है जिसमें अप्रार्थी संख्या–2 [illegible] के साथ निवास करता है। अप्रार्थी संख्या–2 सीमान्त [illegible] पंचायती राज नियम, 1996 के [illegible] दो पर

अतिरिक्त जिला [illegible] * सिरोही *

अति. [illegible]
सिरोही [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:11:45 IST
Reason: SelfAttested

नियम 158 के तहत अप्रार्थी संख्या–2 रियायती दर पर या निःशुल्क भूखण्ड़ पाने की पात्रता नही रखता है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत पंचायत ग्राम की आबादी में 300 वर्गगज तक की भूमि अनुसूचित जाति/जनजाति, स्वच्छकारों, पिछडे वर्ग के सदस्यों, कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, बी.पी.एल. में चयनित परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडिया लुहारों या जिनके आवास बाढ के कारण बह गये है व भविष्य में रहने योग्य नही रहे है को रियायती दर पर/निःशुल्क आवंटन कर सकेगी। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4()पीसी/पराविं/आबादी पट्टा/2009/96 दिनांक 06.1.2020 में स्पष्ट किया है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत कमजोर वर्गो को रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन का प्रावधान है एवं बीपीएल सेन्सस 2002 के सर्वे में ऐसे परिवार जिनके पास राज्य में कोई भूखण्ड या मकान नही है, वे ही व्यक्ति इस नियम के तहत रियायती दर पर भूखण्ड पाने के पात्र है। पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर के परिपत्र संख्या एफ.4(1)पराविं/पीसी/आभू/2004/597 दिनांक 18.6.2004 में स्पष्ट किया है कि पात्र परिवार की वार्षिक आय 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) से अधिक नही हो। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या–2 के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही एवं अप्रार्थी संख्या–2 का राज्य में कहीं पर भी आवासीय मकान या आवासीय भूखण्ड़ है या नही, की जांच किये बिना ही रियायती दर पर/निःशुल्क भूखण्ड़ का आवंटन करते हुए पट्टा विलेख जारी किया है, जो विधि अनुरुप नही है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रदत्त प्रावधानों का पालन किये बिना ही अपात्र व्यक्तियों को रियायती दर पर भूखण्ड़ का आवंटन कर पट्टा जारी किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या–2 रियायती दर पर भूखण्ड़ प्राप्त करने की पात्रता नही रखता है जिसकी पुष्टि इस प्रकरण में प्रस्तुत श्री केतन ओझा, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हीराराम, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, सहायक विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्ड़वाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा के संकल्प संख्या 3 दिनांक 20.11.2016 को एवं इसके अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने अप्रार्थी संख्या–2 की ओर से प्रस्तुत लिखित जवाब एवं लिखित बहस (लिखित बहस पंचायत निगरानी संख्या 62/2020 व अन्य प्रकरणों की संयुक्त प्रस्तुत करने से पंचायत निगरानी संख्या 62/2020 के संलग्न की गई है) में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि यह निगरानी आवेदन व अन्य निगरानी आवेदन पट्टाधारकों को पट्टेशुदा भूमि का ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा कब्जा सुपर्द नही करने की शिकायत पर पेश हुई है। यह निगरानी प्रकरण पट्टेशुदा भूमि का कब्जा नही मिलने का नही है, बल्कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 को पंचायत की आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या–2 के बने हुए पुराने आवासीय मकान का जारी पट्टे से संबंधित है, जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध उक्त संयुक्त जांच प्रतिवेदन से होती है। विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने जांच रिपोर्ट का सही रुप से अवलोकन व अध्ययन किये बिना ही अप्रार्थी संख्या–2 के विरुद्ध यह निगरानी आवेदन सर्वथा गलत तथ्यों के आधार पर करीब 3 वर्ष के अधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया है, जो कानूनन परिपोषणीय नही है। अप्रार्थी संख्या–2 को ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा जारी पट्टे की भूमि सरकारी भूमि नही होकर मौके पर अप्रार्थी संख्या–2 का आबादी भूमि में पुराना आवासीय मकान बना हुआ है एवं अप्रार्थी संख्या–2 मौके पर अपने परि[illegible] निवास कर रहा है। जिसके फोटोग्राफस व विधुत बिल आदि दस्तावे[illegible] किये है जो न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। ग्राम पंचायत, [illegible] के पक्ष में पट्टा जारी करने के

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:11:45 IST
Reason: SelfAttested

संबंध में विधिवत प्रस्ताव पारित करके पट्टा जारी किया है, जिस पर सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर है व पट्टे पर मिसल संख्या, भूमि का नाप, प्रस्ताव संख्या आदि स्पष्ट रुप से अंकित है। यह कि अप्रार्थी संख्या–2 ने पंचायत की आबादी भूमि में अपने पुराने कब्जे भोगवटे के आवासीय मकान का पट्टा जारी करवाने हेतु आवेदन किया था एवं उसकी नियमानुसार शुल्क राशि भी पंचायत में जमा करवाई थी तथा अप्रार्थी संख्या–2 के आवेदन पर ग्राम पंचायत, वाटेरा ने विधिवत प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। प्रश्नगत पट्टे की भूमि नजूल भूमि नही है, बल्कि अप्रार्थी संख्या–2 के मौके पर बने हुए पुराने आवासीय मकान की भूमि है एवं मौके पर अप्रार्थी संख्या–2 का पुराना आवासीय मकान बना हुआ होने से अप्रार्थी संख्या–2 अपने पुराने मकान की भूमि का ग्राम पंचायत, वाटेरा से नियमानुसार पट्टा जारी करने का अधिकारी है। पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों के पुराने मकान बने हुए है जिन्हें नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने थे, लेकिन ग्राम पंचायत, वाटेरा ने नियम 158 के तहत पट्टे जारी किये है। अप्रार्थी संख्या–2 भी रेबारी जाति का व्यक्ति है तथा मौके पर अप्रार्थी संख्या–2 का पुराना मकान बना हुआ है। यदि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 को अप्रार्थी संख्या–2 के पुराने मकान का पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी नही करके नियम 158 के तहत जारी कर दिया है तो उससे अप्रार्थी संख्या–2 के पट्टेशुदा भूमि के स्वामित्व व मालिकाना हक पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा किये गये कृत्य के लिये अप्रार्थी संख्या–2 को दोषी नही ठहराया जा सकता है, क्योकि नियमों की पालना करने का दायित्व ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का था जिस पर अप्रार्थी संख्या–2 का कोई नियंत्रण नही था। कानून की स्थिति यह है कि 100 दोषी व्यक्ति छुट जाये, लेकिन एक निर्दोष को सजा नही होनी चाहिये। अप्रार्थी संख्या–2 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा द्वारा प्रस्तुत निगरानी आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले निगरानी आवेदन के प्रारुप में नही होकर विभागीय पत्र के रुप में प्रस्तुत किया है। निगरानी आवेदन में अंकित कथनों के संबंध में निगरानी आवेदन में प्रार्थी ने स्वयं का सत्यापन प्रमाण अंकित नही किया है तथा न ही निगरानी आवेदन के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। ग्राम पंचायत, वाटेरा ने अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जो प्रस्ताव पारित किया है उसको प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा ने कभी भी चुनौती नही दी है एवं इस प्रस्ताव के अस्तित्व में रहते उक्त निगरानी आवेदन कानून परिपोषणीय नही है। अप्रार्थी संख्या–2 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त 2021(1)DNJ(Raj.) Page 186-188 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में जारी पट्टा विलेख का उप पंजीयक कार्यालय, भावरी से पंजीयन भी करवाया है, इस प्रकार पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नही होकर सक्षम सिविल न्यायालय को ही है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 20.9.2016 के प्रस्ताव संख्या– 2 के अनुसरण में अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के अन्तर्गत [illegible] दिनांक 20.9.2016 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, [illegible]96 के नियम 158(1) के अनुसार पंचायत, गांव आबादियों में 3000 [illegible] जातियों, स्वच्छकारों, अनुसूचित जनजातियों, [illegible] गांव कारीगरों, श्रम मजदूरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियों, एकीकृत ग्रा[illegible] विकास कार्यक्रम में चयनित,

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:11:45 IST
Reason: SelfAttested

परिवारों, विकलांगों, यायावर जनजातियों, गाडियों लुहारों को जिनके पास स्वयं के गृहस्थल/गृह नही है और ऐसे बाढग्रस्तों को भी जिनके गृह बह गये है या गृह स्थल बाढ़ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, को रियायती दरों पर आवंटन कर सकेगी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज श्री केतन ओझा, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा, श्री हिराराम, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा व श्री चुन्नीलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा की संयुक्त जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि रेबारी समाज के व्यक्तियों के पुराने आवास बने हुये है, जिन्हें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पट्टे जारी करने थे, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत विक्रय विलेख जारी कर नियमों की अवहेलना की गई है।

अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाडा का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, वाटेरा द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.9.2016 एवं इस प्रस्ताव के अनुसरण में ग्राम पंचायत वाटेरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 के तहत जारी पट्टा विलेख संख्या 22017 **दिनांक** 20.9.2016 **को निरस्त** किया जाता है एवं प्रकरण ग्राम पंचायत, वाटेरा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उक्त पट्टे की भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करे एवं यदि मौके पर आबादी भूमि में अप्रार्थी संख्या–2 का पुराना आवासीय मकान बना हुआ है तो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत अप्रार्थी संख्या–2 को पुनः पट्टा जारी करने की कार्यवाही करे। निर्णय सुनाया गया।

(के.आर. खौड)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.06 18:11:45 IST
Reason: SelfAttested